पत्रांक603/धारा–57/09–10/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0कर/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धार–57 अनुभाग)

प्रार्थना पत्र सं0 55 /2008 दिनांक :: देहरादून :: 18 मई 2009

सर्वश्री हिमालय स्टोन इण्डस्ट्री,
मोती नगर, बरेली रोड,
हल्द्वानी।

निर्णय का दिनांक :– 18 मई, 2009
प्रार्थी की ओर से : श्री भूमेश अग्रवाल (आवेदनकर्ता)

आदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत

सर्वश्री हिमालय स्टोन इण्डस्ट्री मोतीनगर, बरेली रोड, हल्द्वानी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 30–03–2009 को एक प्रार्थना पत्र देते हुए, स्टोन क्रेशर से उत्पादित ग्रिट तथा स्टोन डस्ट पर उत्तराखण्ड के अन्तर्गत की जाने वाली बिक्री पर वैट की दर बताने का अनुरोध किया गया है।

2– फर्म की ओर से श्री भूमेश अग्रवाल (आवेदनकर्ता) एवं श्री अरुण अग्रवाल, एडवोकेट उपस्थित हुए उनके तर्क सुने गये तथा लिखित उत्तर पर विचार किया गया।

3– विभागीय आख्या ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर नैनीताल, सम्भाग हल्द्वानी, द्वारा प्रेषित करते हुए उक्त के सम्बंध में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत कर की दरों का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार अनुसूची–II (ख) के क्रमांक–94 पर विवादित वस्तुओं पर कर की दर के सम्बंध में अंकित प्रविष्टि के अुनसार नदी के बालू व रोड़ी (ग्रिट) पर नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है तथा बोल्डर्स एवं स्टोन क्रेशर द्वारा निर्मित ग्रिट और बालू पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

4– आवेदनकर्ता की ओर से लिखित उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर सेल्स टैक्स यू0पी0 बनाम सर्वश्री लालकुँआ स्टोन क्रेशर प्रा0 लि0 के मामले में सिविल अपील संख्या–5654/1998 में दिनांक 14–03–2000 (STI 2000 SC: 53) में दिये गये निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि गिट्टी, कंकड़, स्टोन ब्लास्ट सभी स्टोन की श्रेणी में आते है तथा शासकीय विज्ञप्ति संख्या–4 दिनांक 21–01–2006 के द्वारा जब पूर्ववर्ती प्रविष्टि में से ग्रिट एवं सैन्ड मैन्यूफैक्चर बाइ स्टोन क्रेशर को हटाया गया था तब शासन की मंशा यह थी कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार के स्टोन के रुपों को स्टोन ही माना है तब स्टोन ग्रिट, सैन्ड, स्टोन डस्ट, स्टोन ब्लास्ट अलग–अलग नही माने जा सकते।

–2–

(5) मेरे द्वारा समस्त तथ्यो पर विचार किया गया तथा अभिलेख देखे गये। मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–4 की उपधारा (2) के क्लाज (b) के सबक्लाज (i) के साथ पठित प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य वस्तुओं की अनुसूची II(B) के कमांक 94 पर "River Sand, Grit and Boulders" की प्रविष्टि शासकीय विज्ञप्ति संख्या–04/XXVII(8)/ दिनांक 21–01–2006 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है। इस प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमे ग्रिट की साइज का उल्लेख नही है। अतएव ग्रिट के साइज के अनुसार कर की दर निर्धारित नही है। इस प्रकार से ग्रिट चाहे वो किसी साइज की हो, का वर्गीकरण ग्रिट के अन्तर्गत ही माना जायेगा। वस्तुतः नदी से निकाली गयी विभिन्न साइज की ग्रिट एवं बड़े पत्थरों को तोड़कर स्टोन केशर द्वारा तैयार की गयी विभिन्न साइज की ग्रिट वाणिज्यिक उपयोग के दृष्टिकोण से भी एक ही वस्तु मानी जायेगी। नदियों से विभिन्न साइज के पत्थर, ग्रिट, रोड़ी, रेता आदि की निकासी करना वस्तुतः Mining की श्रेणी में आने के कारण निर्माण ही माना जायेगा तथा बड़े पत्थर से विभिन्न साइज के ग्रिट/रोड़ी बनाये जाने पर किसी नयी व्यवसायिक वस्तु का निर्माण नही होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सर्वश्री लालकुँआ स्टोन केशर प्रा०लि० के मामले में सिविल अपील संख्या–5654/98 दिनांक 14–03–2000 को निस्तारित करते हुए यही सिद्धान्त प्रस्तारित किया है कि स्टोन तथा ग्रिट (गिट्टी) के साइज भिन्न–भिन्न होने पर भी सभी आईटम समान प्रकृति के है। पत्थर तोडने पर निकली डस्ट वस्तुतः पत्थर के ही महीनकण है जिनकी प्रकृति एवं उपयोग (nature and use) नदी से निकाले गये रेत से भिन्न नही है। अतएव शासकीय विज्ञप्ति संख्या–04/XXVII(8)/ दिनांक 21–01–2006 में की गई व्यवस्था के दृष्टिकोण से स्टोन केशर द्वारा तैयार की गयी ग्रिट एवं स्टोन डस्ट पर प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर करदेयता 4 प्रतिशत ही निर्धारित की जायेगी।

(6) उपरोक्तानुसार धारा–57 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(7) इस निर्णय की एक प्रति आवेदनकर्ता को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

(वी०के०सक्सेना)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

2– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

3– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/उद्योग/व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

8– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी।

9– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

10– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

11– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।

12– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

13– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

14– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

18/05/08

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।